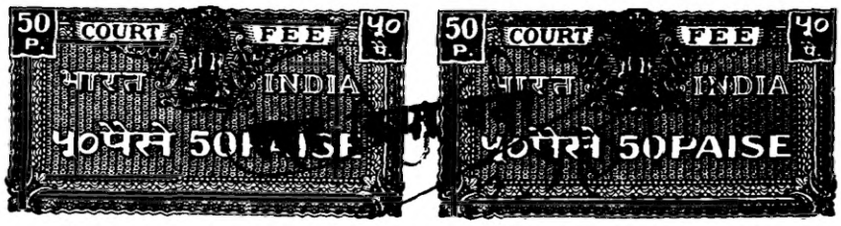

1-00

नकल प्र0नं0
1970/95

प्रतिलिपि आरोपपत्र ज्ञानप्रकाश मिश्रा जो कि श्री
जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0) के न्यायालय
में सत्र प्र0क्र0 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसका प्रकार निम्नलिखित है:-

म0प्र0शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी0बी0आई0 न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. ज्ञानप्रकाश मिश्रा उर्फ ज्ञानू आ0 छोटकन,
साकिन- बाजार आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश राय आ0 रामआशीष राय,
साकिन- क्वा0नं0- 7ए, रोड नं0-5, सेक्टर-5, भिलाई
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ0 विक्रमा सिंह,
साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ0 नोलाई मल्लाह,
साकिन- निम्हौरी थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ0प्र0)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ0 भारत सिंह,
साकिन- जी-36, ए0सी0सी0 कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह सैंधू आ0 रावेल सिंह सैंधू,
साकिन- आर-37, एम0पी0 हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई. ....अभियुक्तगण

सत्यप्रतिलिपि
23/5/95
प्रधान प्र...
प्रति...
कार्या. जिला ... न्यायालय,

2-00

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०)

(समक्ष:- श्री जे०के०एस०राजपूत)

सत्र प्र०क्र०- 233/92

:: आरोप-पत्र ::

मैं जे०के०एस०राजपूत, द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०)

तुम ज्ञानप्रकाश मिश्रा उर्फ ज्ञानू आत्मज छोटकन मिश्रा पर निम्नलिखित

आरोप लगाता हूं :- (माह मई से सितम्बर 91 कि मध्य किसी समय)

प्रथम :- यह कि आपने ~~हुडको कॉलोनी, दुर्ग में दिनांक 28-9-91 को या~~

जिला-दुर्ग (म०प्र०) ~~उसके लगभग प्रातः 3.45 बजे या~~ उसके लगभग (अपने) मूलचंद शाह, नवीन शाह, चंद्रकांत शाह, ~~ज्ञानप्रकाश मिश्रा~~, अवधेश राय, अभयकुमार सिंह, चंद्रबक्श सिंह, बलदेवसिंह एवं पलटन मल्लाह के साथ आपसी सहमति द्वारा शंकर गुहा नियोगी की हत्या का षड्यंत्र रचा, जो एक अवैध कार्य था या उसे अवैध साधनों द्वारा कारित करने के लिये करार किया था या उस सहमति के अनुसरण में शंकर गुहा नियोगी की हत्या (दि० 28-9-91 को प्रातः 3.45 बजे हुडको कॉलोनी दुर्ग में) की गई और इस प्रकार आपने एक ऐसा कार्य किया, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी सहपठित धारा 302 के अधीन एक दंडनीय अपराध है तथा इसके संज्ञान की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है ।

(हस्ताक्षर) 9.8.94 D.A.S.J.

द्वितीय :- यह कि आपने हुडको कॉलोनी, दुर्ग में दिनांक 28-9-91 को या उसके लगभग प्रातः 3.45 बजे या उसके लगभग सह-अपराधी पलटन के साथ शंकर गुहा नियोगी की हत्या करने का सामान्य आशय बनाया और जिसको अग्रसर करने में पलटन ने शंकर गुहा नियोगी को गोली मारकर उसकी मृत्यु कारित कर हत्या का अपराध किया, इस प्रकार आपने धारा 302 सहपठित धारा 34 भा०दं०वि० के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया, जिसके संज्ञान की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है ।

तृतीय :- यह कि आपने हुडको कॉलोनी, दुर्ग में दिनांक 28-9-91 को या उसके लगभग प्रातः 3.45 बजे या उसके लगभग अभियुक्त पलटन को शंकर गुहा नियोगी की हत्या कारित करने के लिये दुष्प्रेरित किया एवं यह कार्य आपके दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप आपकी उपस्थिति में कारित किया गया और इस प्रकार आपके द्वारा कारित अपराध भा०दं०वि० की धारा 114 सहपठित धारा 302 के

..2

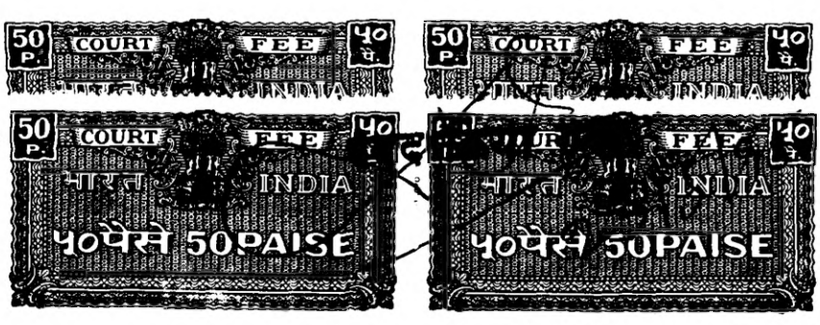

के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है, जिसके संज्ञान की अधिकारिता इस न्यायालय को है ।

अतएव मैं आदेशित करता हूं कि उक्त आरोपों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावे ।

[signature]

(जे०के०एस०राजपूत)
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग, दिनांक:- 25.5.94 दुर्ग (म०प्र०)

अभियुक्त को उक्त आरोपों को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसने कथन किया कि :- अपराध नहीं किया

[signature]

(जे०के०एस०राजपूत)
द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,
दिनांक:- 25.5.94 दुर्ग (म०प्र०)

सत्यप्रतिलिपि
प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग,
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)